प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट   दिनांक 17.09.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 शातिर गौकश अभियुक्त रिजवान को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस तथा गौकशी के उपकरण एक कुल्हाडी, एक छुरी व 02 रस्से व एक लोहे की रॉड बरामद ।

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर गौकश रिजवान को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस तथा गौकशी के उपकरण एक कुल्हाडी, एक छुरी व 02 रस्से व एक लोहे की रॉड बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 224/25 धारा 109/3(5) बीएनएस, 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिजवान पुत्र नसीर निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
- गौकशी के उपकरण एक कुल्हाडी, एक छुरी व 02 रस्से, एक लोहे की रोड

गिरफ्तारी का स्थान- जंगल ग्राम बोपुरा।

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/5/8 गो वध अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत
2-मु0अ0सं0 271/22 धारा 3/5/8 गो वध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत
3-मु0अ0सं0 272/22 धारा 307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत (पुलिस मुठभेड)
4-मु0अ0सं0 274/22 धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत
5-मु0अ0सं0 73/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत
6-मु0अ0सं0 301/23 धारा 147/148/149/307 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 3/8 गो वध अधि0 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत
7-मु0अ0सं0 95/24 धारा 307 भादवि व 3/5/8 गो वध अधिनियम व 3/4/25/27 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली जनपद बागपत।
8- मु0अ0सं0 224/25 धारा 109/3(5) बीएनएस, 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप थाना दोघट जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
3-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
4-उ0नि0 श्री ब्रजेश पोनिया थाना दोघट जनपद बागपत
5-उ0नि0 श्री मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत
6-उ0नि0 श्री पल्टुराम थाना दोघट जनपद बागपत
7-है0का0 607 सुरेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
8-है0का0 144 विनय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
9-है0का0 334 मुनीदेव थाना दोघट जनपद बागपत
10- है0का0 724 रवि कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
11-है0का0 855 कुशलपाल थाना दोघट जनपद बागपत
12- है0का0 352 गोविन्द थाना दोघट जनपद बागपत
13- का0 73 रविन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत
14-का0 413 आकाश थाना दोघट जनपद बागपत

15- का0 160 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 17.09.2025

बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-कल्लू उर्फ योगित पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम व थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-आशु पुत्र जीवन चन्द उर्फ चुन्नु निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-संजय पुत्र रतिराम निवासी ग्राम पावला थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

4-सुखदेव पुत्र राममेहर निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत।

5-अब्दुल वहाब पुत्र यामीन कुरैशी निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना रमाला पुलिस टीम। (01 वारंटी)

2-थाना बिनौली पुलिस टीम। (01 वारंटी)

3-थाना चांदीनगर पुलिस टीम। (01 वारंटी)
4-थाना बडौत पुलिस टीम। (01 वारंटी)
5-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम। (01 वारंटी)

प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनाँक 17.09.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 299/25 धारा 74/78/126(2)/296/333/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 299/25 धारा 74/78/126(2)/296/333/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

कर्ण उर्फ बाली पुत्र संजय निवासी रैदासपुरी वार्ड न0 1 निकट वाल्मिकि मन्दिर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0 नि0 शीतल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 17.09.2025**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से कुल 22 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी हुंडई VERNA बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 22 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी हुंडई VERNA नंबर DL12CE2775 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 307/25 धारा 63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.सुनील पुत्र मुलकराज निवासी D/207 गली नं0 18 अशोक नगर थाना ज्योति नगर दिल्ली।
2.सौरभ कुमार पुत्र किशन कुमार निवासी E 536 गली नंबर 18 अशोक नगर थाना ज्योति नगर दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

- 22 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।
- घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी हुंडई VERNA नंबर DL12CE2775

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकडा, बागपत
2. है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा बागपत
3.है0का0 395 मनोज कुमार थाना खेक़डा बागपत
4.का0 455 विजय सैनी थाना खेक़डा बागपत
5.का0 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेक़डा बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर **दिनांक 17.09.2025**

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 162/2025 धारा 305(डी) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए, एक महिला अभियुक्ता व एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से मन्दिर से चोरी किये चरण पादूका के 27 टुकड़े व 5000 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.09.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री कृष्णपाल उर्फ लल्लू पुत्र मंगत सिंह निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात महिला द्वारा दादी महाराज मन्दिर में रखी चांदी की चरण पादूका को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 162/2025 धारा 305(डी) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 162/2025 धारा 305(डी) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक महिला अभियुक्ता व एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से जिनके कब्जे से मन्दिर से चोरी किये चरण पादूका के 27 टुकड़े (वजन 567.150 ग्राम) व चोरी किये हुए सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों में से 5000 रुपये नगद बरामद हुए है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढोतरी की गयी है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राकेश पुत्र स्व0 राजकुमार उम्र करीब 40 वर्ष निवासी E-41 गली न0 वेस्ट ज्योतिनगर थाना ज्योतिनगर दिल्ली, ग्राम मकरेडा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

2- सबीना पत्नी गुड्डू निवासी अमन गार्डन थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- चरण पादुका के कुल 27 टुकडे वजन 567.150 ग्राम ।
- चोरी का सामान बेचकर मिले 5000 रुपये नगद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता सबीना

1.मु0अ0स0 233/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2.मु0अ0स0 162/2025 धारा 305(डी)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत

3- है0का0 378 बलराज थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

4- म0है0का0 261 सीमा, थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

5. है0का0 751 दीपक कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

6- का0 427 अरूण कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 17.09.2025

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस एवं थाना एएचटी की संयुक्त टीम ने थाना छपरौली के मु0अ0सं0 239/24 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस एवं थाना एएचटी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना छपरौली के मु0अ0सं0 239/24 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया है ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री शिवदत्त थाना छपरौली।

2-प्र0नि0 श्री विनोद कुमार थाना एएचटी जनपद बागपत।

3-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली।

4-उ0नि0 श्री यशपाल थाना एएचटी जनपद बागपत

5-उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली

6-का0 511 धर्मेन्द्र थाना छपरौली

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 17.09.2025**

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 16 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 16 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सतेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम गूँगाखेडी थाना रमाला जिला बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 16 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला बागपत

2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला बागपत

3-का0 607 कपिल देव थाना रमाला जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 17.09.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 232/2025 धारा 305(a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 इन्वर्टर व 02 बैटरी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 29.06.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री मुजफ्फर अली पुत्र जुल्फुकार निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान से 2 इन्वर्टर व 4 बैटरी चोरी कर लिये है। इस सम्बंध प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 232/2025 धारा 305(a) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 232/2025 धारा 305(a) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 इन्वर्टर व 02 बैटरी बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-तुषार पुत्र घनश्याम निवासी बाबूगज मण्डी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष ।

2-उस्मान पुत्र वशीर निवासी लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र करीब 36 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 02 इन्वर्टर ।
- चोरी की हुई 02 बैटरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 663 रजनेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-का0 1100 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।